बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न एवं उत्तर

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि — 30 फाल्गुन, 1939 (श.) / 21 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 08

1.	निबंधन विभाग	-	-	01
2.	मंत्रिमंण्डल सचिवालय (निगरानी) विभाग	-	-	01
3.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	02
4.	पर्यटन विभाग	-	-	01
5.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	01
6.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	02
			कुल योग	– 08

किन योजनाओं में कितनी राशि

139. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य अंतर्गत 45 हजार एन.जी.ओ. सोसायटी रजिस्टर्ड हैं, नियमानुसार प्रतिवर्ष ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म एच एवं रिटर्न देना है परंतु विभाग द्वारा लगातार सूचना देने के बावजूद कागजात उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि कान्ति देवी स्मृति सेवा संस्थान, गौनाहा, ग्राम पंचवटीया मठीया, पश्चिमी चम्पारण को 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना में लगभग 16 लाख, वृद्धजन वृद्धाश्रम एवं अन्य योजनाओं में करोड़ों रु. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बताएगी कि कितने एन.जी.ओ. द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं कांति देवी स्मृति सेवा संस्थान, गौनाहा, ग्राम पंचवटीया मठीया को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में किन-किन योजनाओं में कितनी राशि मिली है तथा खर्च कितना किया गया है तथा अबतक कितने एन.जी.ओ. के निबंधन को रद्द किया गया है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

उत्तर: (क) आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अभिलेखागार के अनुसार तत्काल 44832 निबंधित संस्थाएं हैं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रथम तिमाही के अन्त में निबंधित संस्थाओं को अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन एवं फॉर्म-एच विभाग में समर्पित करना है। विभाग द्वारा वर्ष 2016 में वांछित प्रतिवेदन जमा करने हेतु समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने के बाद अबतक लगभग 7634 संस्थाओं द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

(ख) आंशिक स्वीकारात्मक।

वस्तुस्थिति यह है कि कान्ति देवी स्मृति सेवा संस्थान (नि.सं.-1614/2011-12) एक निबंधित संस्था है, जिसका कार्यालय सिसवनियां, रामगढ़वा, पूर्वी चम्पारण में है। विभाग द्वारा मात्र संस्था का निबंधन किया जाता है। किसी भी संस्था को विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता अथवा अनुदान नहीं दिया जाता है और नहीं कोई अनुशंसा की जाती है। इसलिए वृद्धजन, वृद्धाश्रम एवं अन्य योजनाओं में करोड़ों रुपये भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देने संबंधी विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) आंशिक अस्वीकारात्मक।

वर्णित संस्था द्वारा वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक अंकेक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन एवं फॉर्म-एच समर्पित किया गया है। उक्त संस्था को इस विभाग द्वारा कोई राशि नहीं दी गयी है।

समाचार पत्रों में प्रकाशित show cause के आधार पर संस्था का निबंधन रद्द करने के प्रस्ताव को विधि विभाग द्वारा नियमानुकूल नहीं मानते हुए प्रत्येक संस्था से निबंधित डाक के माध्यम से कारण पृच्छा की मांग कर एवं उसपर सम्यक विचार करते हुए रद्द करने का दिनांक 03.02.2017 को परामर्श दिया गया है। तद्नुसार निबंधन रद्द करने की कार्रवाई की जानी है। अभी इस आधार पर किसी संस्था का निबंधन रद्द नहीं किया गया है।

वर्ष 1908-09 से 1939-40 तक उपलब्ध संचिकाओं में संस्था के पता पर संस्था से स्पष्टीकरण की मांग की गई। उनमें से कई पत्र डाक विभाग द्वारा वापस कर दिये गये हैं। पुन: उक्त प्रेषित पत्रों की प्रति संलग्न कर संबंधित सहायक निबंधन महानिरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। संस्था सचिव से स्पष्टीकरण/स.नि.म. से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समीक्षोपरान्त रद्द करने की कार्रवाई की जायगी।

जांच की धीमी गति

140. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (निगरानी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में हुए विभिन्न घोटाले जैसे पाठ्यपुस्तक घोटाला, मगध विश्वविद्यालय पी.एच.डी. घोटाला, तेरह एन.एच. जांच मामला, सारण बालू घाट मामला तथा अनुसूचित छात्रवृत्ति घोटाला आदि मामले जांच हेतु निगरानी के जिम्मे सौंपे गये हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन मामलों की जांच काफी धीमी गति से चल रही है, जिससे दोषी को अपने बचाव का काफी समय मिल रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि इनमें से कई मामलों में अभी तक प्राथमिकी भी दर्ज नहीं हो पाई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन मामलों की जांच शीघ्रातिशीघ्र कराकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

अधिसूचना लागू करना

141. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य ब्लॉक/सर्किल ऑफिस/ विभाग में जनसमस्याओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों से सांसद, विधायक और विधान पार्षद फोन के माध्यम से बातें करना चाहते हैं तो ऑफिसर फोन तक रिसीव नहीं करते हैं, जिसके कारण विवशतावश जनप्रतिनिधियों को होलसेल में शिकायत करनी पड़ी है;

(ख) क्या यह सही है कि होलसेल में शिकायत आने पर विभाग ने सभी विभागों के साथ प्रमंडलीय आयुक्त, डी.एम. को पत्र लिखकार जन प्रतिनिधियों की बतायी गई समस्याओं के समाधान करने की अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 को जारी कर दी है लेकिन अभी भी शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग जारी अधिसूचना को अमल में नहीं ला रहे हैं और विभाग के पदाधिकारी कभी कोर्ट तो कभी मीटिंग में रहने की बातें कर जन समस्या को हल करने में टाल-मटोल की नीति अपना रहे हैं जिससे लोकहित कार्य बाधित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को अमल में लाने हेतु दिनांक 28.12.2017 की जारी अधिसूचना को सख्ती से लागू करने का विचार रखती है?

धार्मिक-ऐतिहासिक स्थल का विकास

142. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि स्वदेश योजना के तहत बिहार के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को विकसित किया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार ने इसके लिए पांच सौ करोड़ रुपये बिहार सरकार को उपलब्ध कराए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि स्वदेश योजना के अन्तर्गत बुद्ध सर्किट सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों के विकास का काम शुरू हो चुका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बतलाएगी कि राज्य में किन-किन धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास का कार्य आरंभ किया गया है और उन स्थलों को कबतक विकसित किये जाने का लक्ष्य है?

राजस्व कचहरी का निर्माण

143. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर अंतर्गत रासपुर पतसिया राजस्व ग्राम हल्का नं.-7 में दो बड़ी पंचायत के अलावा दो राजस्व ग्राम भासिंगपुर एवं चकजोहरा गोपाली हैं;

(ख) क्या यह सही है कि अंचल के इस सबसे बड़े राजस्व ग्राम एवं हल्का की राजस्व कचहरी गंगा नदी के कटाव से 1983 में कटकर गंगा में विलीन हो गई है;

(ग) क्या यह सही है कि 10+2 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आर.जे.एस.टी. के पास राजस्व कचहरी के नये भवन के निर्माण हेतु भूमि महामहिम के नाम से निबंधित है तथा लोक निर्माण पथ पर है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निबंधित भूमि पर नया राजस्व कचहरी निर्माण करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पाइप लाइन की सफाई

144. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत गुलाब राय गली मुहल्ला मोहनपुर पुनाईचक पटना के पाइपों से शुद्ध जल प्राप्त नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना वासियों को शुद्ध पानी मुहैया कराने के लिए 18 जल मीनार बनाने का निर्णय विचाराधीन है ताकि पटना के 72 वार्डों में सुचारु एवं शुद्ध जल आपूर्ति की जा सके;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार पटना के सभी इलाकों का डी.पी.आर. बनाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त जिला के 72 वार्डों के लिए जल मीनार बनाने पर तथा उक्त गली के पाइप लाइन की सफाई एवं जंग लगे पाइपों को बदलने पर विचार करेगी, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अवैध पार्किंग पर रोक

145. **श्री दिनेश प्रसाद सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर शहर स्थित मोतीझील ओवर ब्रिज एवं भगवानपुर ओवर ब्रिज पर टैम्पू एवं चार चक्का गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित दोनों ओवर ब्रिज पर अवैध रूप से गाड़ियों को खड़ा कर देने से ब्रिज पर जाम लगा रहता है और यातायात पूर्णत: बाधित होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त वर्णित दोनों ब्रिज पर अवैध पार्किंग पर रोक लगाते हुए उसपर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन

146. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में तकनीकी पदों पर योग्यता को दरकिनार कर अंक के आधार पर नियमित नियुक्ति की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर नियमित नियुक्ति करने का विस्तृत सुझाव अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिया गया है जिसे दरकिनार कर कृषि समन्वयक, कनीय अभियंता, ए.एन.एम., जी.एन.एम. पदों पर नियुक्ति की गई है, जिसके कारण मेधावी नवयुवक छंट जा रहे हैं तथा अयोग्य एवं फर्जी तरीके से उच्च अंक प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र धारी अभ्यर्थियों का चयन अंकों के आधार पर हो रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर नियमित नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 21 मार्च, 2018